उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-1
संख्या-21/2017/2680/55-पर्या-1-2017-259(पर्या)/2017
लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2017

सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशित पर्यावरण अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-2641/55-पर्या-1-2017-259(पर्या)/2017, दिनांक 08 नवम्बर, 2017 को संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जा रही है :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।
3- निदेशक,
पर्यावरण, उ0प्र0,
लखनऊ।
4- सदस्य सचिव,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

संलग्नक-यथोक्त।

(निहालुद्दीन खाँ)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम-संख्या–228

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 8 नवम्बर, 2017

कार्तिक 17, 1939 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग–1

संख्या 2641/55-पर्या-1-2017-259(पर्या)-2017

लखनऊ, 8 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

प०आ०–513

चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 48-क में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पित है कि राज्य, पर्यावरण का संरक्षण करने और उसे विकसित करने का प्रयास करेगा;

और, चूँकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक के प्रयोग के कारण होने वाले उत्सर्जनों के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार करने के पश्चात यह विचार किया है कि ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक के प्रयोग के कारण पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ा है;

और, चूँकि, यह अवलोकित किया गया है कि ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक के प्रयोग के कारण गम्भीर पर्यावरणीय तथा लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं;

अतएव, अब, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1981) की धारा 19 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से लोकहित में, दिनांक 1 नवम्बर, 2017 से उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे भाग, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन०सी०आर०) के अधीन आते हैं, में ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक का प्रयोग किया जाना प्रतिषिद्ध करते हैं और यह निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के अधीन आदेश का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे भाग, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, में

किसी व्यक्ति द्वारा फर्नेस-आयल और पेट-कोक का प्रयोग किये जाने की स्थितियों में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, समुचित विधिक कार्यवाही करेगा।

स्पष्टीकरण:–इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, 'फर्नेस-आयल' और 'पेट-कोक' का तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों में यथा संख्यांकित फर्नेस-आयल और पेट-कोक से है।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2641/55-Parya-1–2017-259(Parya)-2017, dated November 8, 2017:

No. 2641/55-Parya-1–2017-259(Parya)-2017
Dated Lucknow, November 8, 2017

WHEREAS Article 48-A of Constitution of India, *inter-alia* envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

AND, WHEREAS the Government of Uttar Pradesh after considering the adverse effects of emissions due to the use of furnace oil and pet coke as fuel, on the environment and ecology, felt that use of furnace oil and pet coke as a fuel have detrimental effect on the environment;

AND, WHEREAS it is observed that the use of furnace oil and pet coke as a fuel causes serious environmental and public health related problems;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), the Governor in consultation with Uttar Pradesh Pollution Control Board in public interest, is pleased to prohibit the use of furnace oil and pet coke as fuel in such parts of the State of Uttar Pradesh as come under National Capital Region (NCR) from the date of November 1, 2017 and to direct that the monitoring of the order under this notification shall be done by the Uttar Pradesh Pollution Control Board. In the circumstances of use of furnace oil and pet coke by any person in such parts of the State of Uttar Pradesh as come under National Capital Region (NCR), the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take appropriate legal action under the provisions of the said Act.

Explanation:- For the purposes of this notification 'furnace oil and pet coke' means such furnace oil and pet coke as numerated in BIS specifications.

By order,
RENUKA KUMAR,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 568 राजपत्र–2017–(1365)–599 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 पर्यावरण–2017–(1366)–500 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।